

UPBN010065782022



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव० वस्तु अधि०), बदायूँ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या:3281/2022

रवि उर्फ रविकान्त मौर्य बनाम सरकार

मु०अ०सं०-588/2022

अन्तर्गत धारा-419,420, 467, 468, 471 भा०दं०सं०

थाना सिविल लाइन, जिला बदायूँ।

दिनांक:19.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त रवि उर्फ रविकान्त मौर्य पुत्र चन्द्रपाल निवासी ऊपर पारा थाना कोतवाली बदायूँ ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सरकार बनाम रवि उर्फ रविकान्त मौर्य अंतर्गत धारा-419,420,467,468,471 भा०दं०सं० थाना सिविल लाइन, जिला बदायूँ के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अरविन्द मौर्य पुत्र चन्द्रपाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अभियुक्त का इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रामवचन सिंह दिनांक-27.09.2022 को अपने कार्यालय में मौजूद था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ए०आर०टी०ओ० कार्यालय बदायूँ के आस-पास कुछ लोग वाहनो के रजिस्ट्रेशन, फिटनेश, आरसी व वाहन ट्रांसफर तथा चालको के ड्राइविंग लाइसेंस बनाके का कार्यालय के बाहर अवैध रूप से जनता के भोले-भाले लोगो को अपनी बातों में फंसाकर उक्त से संबंधित आनलाइन रजिस्ट्रेशन कूटरचित दस्तावेज को प्रयोग कर धन अर्जित कर आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर ए०आर०टी०ओ० सिटी मजिस्ट्रेट बदायूँ श्री ब्रजेश कुमार सिंह व सीओ सिटी बदायूँ श्री आलोक मिश्र मय हमराहीयान के योजना बनाकर ए०आर०टी० ओ० कार्यालय बदायूँ के आस-पास घेराबंदी कर तलाश किया गया, तो ए०आर०टी० ओ० कार्यालय के आस-पास बनी पक्की दुकानों व खडी कारों, जिनके अंदर बैठे व्यक्ति जो की कारों में लगे प्रिंटर लैपटाप आदि सिस्टम द्वारा ए०आर०टी०ओ० कार्यालय से संबंधित वाहनों के कागजात लिए हुए व कामकाज करते हुए मिले जिनको घेराबंदी कर अचानक पकडने के लिए छापा-मारी की गयी तो उक्त लोग अचानक पुलिस बल को देखकर दुकानों व गाडी से निकलकर भागने लगे। परंतु तत्परता से कार्यवाही करते हुए मौके पर ही घेरकर 14 लोगों को पकड लिया गया व करीब 15-20 लोग मौके से भागने में सफल रहे। मौके पर 6 कारें व अन्य सामान बरामद किया गया। पकडे गये लोगो का नाम पता पूछते हुए व जामा तलाशी लेने पर एक ने अपना नाम रामेंद्र कुमार पुत्र भूदेव गुप्ता निवासी मौ० गंज शहीद कस्बा व थाना उझानी जिला बदायूँ बताया इसकी जेब से दो मोबाइल जिसमें एक ओपो कम्पनी रंग काला व दूसरा मोबाइल रेडमी रंग नीला मिला। दूसरे ने अपना नाम राजपाल सिंह पुत्र झांझन लाल निवासी मौ० न० 8 कस्बा व थाना बिल्सी जिला बदायूँ एवं तीसरे ने अपना नाम अवनीश पाठक पुत्र कृष्ण कुमार पाठक निवासी मौ०

मधुवन कालोनी थाना सिविल लाइन बदायूं बताया कि जेब से एक मोबाइल फोन रेडमी रंग स्काई ब्लू तथा बताया कि कार बैगनआर नं० UP 16V1333 अवनीश की है व उसमें रखा लैपटाप एच पी रंग काला माडल RTL 8723DE व प्रिंटर रंग सफेद व नीला L3115 माडल ESPN कि बोर्ड एचपी माडल नंबर CS10 वायलैस व माउस एक अदद जोडा गाडी की नंबर प्लेट जिस पर रजिस्ट्रेशन नं UP 24 AA 4956 अंकित है एक जियों वाई-फाई डोंगल रंग काला व लैपटाप चार्जर व प्रिंटर मेन वायर यूएसबी केबल, तीन अदद आधार कार्ड, एक आरसी UP 24 AR 0617N3712996 व ई स्टाम नंबर इन UP 13896607800253T सामान मिला, पूछने पर उक्त तीनों अभियुक्तगण ने बताया कि उक्त सामान से गाडी से संबंधित कागजात कूटरचित आनलाइन व मैनुवल बाहर गाडी में लगे सामान से तैयार कर लेते हैं एवं चौथे ने अपना नाम पप्पू पुत्र रामचंद्र निवासी मौ० नवादा शेरवान वार्ड नं०-6 थाना बारादरी बरेली बताया जिसके पास से एक मोबाइल फोन एम आई रंग हल्का पिंक गोल्डन मिला व पांचवे व्यक्ति ने सिराज अहमद पुत्र स्व० रियाजुद्दीन निवासी उपर पारा नई बस्ती रजा कालोनी थाना कोतवाली बदायूं बताया जिसके पास से एक मोबाइल ओपो रंग काला मिला व छठा व्यक्ति नीरज पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी ईश्वरी नगला थाना उसहैत जिला बदायूं के पास एक मोबाइल सैमसंग रंग डार्क ब्लू मिला जिसने बताया कि सफेद आल्टो गाडी के-10 नंबर UP 24 AD 5553 मेरी है, उसमें रखे सामान से उपरोक्त हम तीनों उक्त गाडी से संबंधित कागजात कूटरचित आनलाइन व मैनुवल तैयार कर लेते हैं व सातवें व्यक्ति ने अपना नाम आजाद पुत्र मटरूलाल निवासी सहासा थाना विसारत गंज जिला बरेली बताया जिसके पास से रेडमी मोबाइल फोन रंग काला मिला व आठवें ने मोहित कुमार पुत्र यादवेंद्र सिंह निवाली बिछरुईया सिरसा थाना भमौरा जिला बरेली बताया जिससे एक मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का नीला मिला व नौवे व्यक्ति ने अपना नाम यशवंत पाठक पुत्र अवनीश पाठक निवासी मधुवन कालोनी थाना सिविल लाइन बदायूं बताया जिसके पास से मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी का रंग नीला व दूसर नारजो कम्पनी का रंग स्काई ब्लू मिला। जिसने बताया कि कार वैगनआर गाडी UP 24 E 6037 मेरी है मेरे पिता के नाम है, उसमें रखे सामान से उपरोक्त हम तीनों उक्त गाडी से संबंधित कागजात कूटरचित आनलाइन व मैनुवल तैयार कर लेते हैं व मौके से मिली वैगनार UP 16V 1333 से चैसिस नम्बर प्लैट व आरसी व कुछ फार्म मय गाडी के कागजात सहित मौजूद है व दसवें ने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी आदर्श नगर गली नं-01 थाना सिविल लाइन बदायूं व ग्यारवाह व्यक्ति ने राजवीर सिंह पुत्र झांझन लाल मौ० न० 8 कस्बा व थाना बिल्सी बदायूं व बारहवां व्यक्ति ने विशाल शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा निवासी गोकुल नगर नकटिया कालोनी थाना कैट जिला बरेली ने बताया कि दुकान में रखे सामान से गाडी से संबंधित रजिस्ट्रेशन व आरसी कागजात कूटरचित तैयार कर लेते हैं व कुछ कूटरचित रजिस्ट्रेशन व आरसी इसके पास से बरामद हुई व दूसरी दुकान से तीसरे व्यक्ति ने रवि पुत्र चंद्रपाल निवासी उपर पारा थाना कोतवाली जिला बदायूं बताया व तेरहवां व्यक्ति रवि पुत्र चन्द्रपाल निवासी ऊपर पारा लालपुर थाना कोतवाली बदायूं तथा चौदहवें व्यक्ति ने अपना नाम कुर्रम पुत्र राशिद अली निवासी मौ० अल्फा सराय लालपुर थाना कोतवाली जिला बदायूं बताया कि दुकान से मिले सामान से गाडी से संबंधित रजिस्ट्रेशन व आरसी कागजात कूटरचित तैयार कर लेते हैं व कुछ कूटरचित रजिस्ट्रेशन व आरसी इसके पास से बरामद हुई। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का जनता का कोई साक्षी नहीं है। कोई आपत्तिजनक बस्तु का बरामद नहीं

कहा गया है। प्रार्थी से भागा हुआ दर्शाया गया है, प्रार्थी से दुकान से कोई वास्ता नहीं है, उक्त दुकान से मिला बैग के सम्बन्ध में स्वामी ही बता सकता है, प्रार्थी नहीं। प्रार्थी को कोई फर्द नहीं दी गयी है। प्रार्थी का लाभ अर्जित करने का कोई आरोप नहीं है। प्रार्थी द्वारा फर्जी कागज तैयार किया जाना या मूल्यांकन प्रतिभू का तैयार किया जाना आरोपित है, धारा-467, 468 भा०दं०सं० का दोषी नहीं है। प्रार्थी दिनांक-28.09.2022 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी स्थायी बदायूँ का निवासी है, ए०आर०टी०ओ० के निकट प्रार्थी की 30 बीघा जमीन खेती की है, जिसका प्रार्थी देखभाल करता है। प्रार्थी का भागने या साक्ष्य तोड़ने का भय नहीं है। प्रार्थी जमीन का कागजात न्यायालय में दाखिल कर रहा है। प्रार्थी पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। उक्त आधार पर दौराने वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समग्र सामग्री का परिशीलन किया।

मेरे द्वारा केस डायरी का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण को अन्य सहअभियुक्तगण के साथ प्राथमिकी में नामजद किया गया है एवं मौके से गिरफ्तार करना बताया गया है। अभियुक्तगण रामेन्द्र कुमार, राजपाल सिंह, अवनीश पाठक, पप्पू, सिराज अहमद, नीरज, आजाद, मोहित कुमार व यशवंत पाठक ने गिरफ्तारी के समय बताया कि बैगेनार कार नं०-UP16 B 1333 अवनीश की है, उसमें रखा लैपटॉप एच०पी० रंग काला माँडल RTL 8723DE व प्रिन्टर रंग सफेद व नीला L3115 माँडल, EPSON, बोर्ड एच०पी० नं० CS10 बायरलैस माउस एक अदद गाड़ी की नम्बर की प्लेट, जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर-UP 24 AA 4956 अंकित है, एक जीओ डोंगल रंग काला व लैपटॉप चार्जर, प्रिन्टर, यू०एस०बी० केबिल, तीन आधार कार्ड एक आर०सी०नं०-UP24AR 0617, N37 12 996, ई स्टाम्प नम्बर, सामान मिला, आल्टो गाड़ी नं०-UP 24 AD 5553 के बारे में नीरज ने बताया कि यह गाड़ी मेरी है, जिसमें एक लैपटॉप लिनेवा माँडल नं०-80E5 प्रिन्टर कैनन, बोर्ड व डेटा केबिल, चार्जर, कैलकुलेटर, दो स्टाम्प एवं यशवंत पाठक ने बताया कि एक बैगेनार गाड़ी नं०-UP 24E 6037, जो हमारे पिता जी के नाम है, वह हमारी है, जिसमें लैपटॉप लिनेवा माँडल नं०-80TJ, माउस, यू०एस०बी० केबिल, बोर्ड बायरलैस, प्रिन्टर, तीन डी०एल० अलग-अलग व्यक्तियों के नाम के मिले, जिसके बारे में अभियुक्तगण अवनीश, नीरज व यशवंत पाठक द्वारा यह बताया गया कि हम सभी लोग उक्त बरामदशुदा लैपटॉप प्रिन्टर से ए०आर०टी०ओ० कार्यालय से सम्बन्धित आर०सी०, ड्राइविंग लाइसेन्स, फिटनेस व गाड़ी स्थानान्तरण से सम्बन्धित जो प्रपत्र हमारे पास से मिले हैं, वह कागजात व कूटरचित कागजात ऑनलाइन व मैनुअल यहीं बाहर गाड़ी में लगे सामान से तैयार कर लेते हैं।

मौके से मिली पहली बैगेनार UP16 V 1333 में रखे एक लेदर महरूम रंग का बैग मिला, जिसमें एक अद्व कटी हुई चैचिस प्लेट A11K1262 लिखा है एवं एक आर०सी० की मूल जिस पर नम्बर UP 24 AR 7384 अंकित है तथा इसी के साथ लगी फोटो आर०सी०, जिस पर नम्बर UP 24 AR 8484 अंकित है, जबकि वाहन स्वामी का नाम दोनों आर०सी० में एक ही अंकित है तथा दूसरी आर०सी० रजिस्ट्रेशन नं०-UP 24 AN 5614 के साथ लगी फोटोकापी UP 24 AN 5616 अंकित है, दोनों वाहन पर एक ही वाहन स्वामी का नाम अंकित है, जिस पर वर्ष 2022 अंकित है। इसके साथ ही कुछ और कागज गाड़ी से मिलना बताया गया है।

मौके पर मौजूद गाड़ी सफेद आल्टो UP 24 AD 5553 में एक पिटू बैग मिला, जिसमें एक आर०सी० नम्बर UP 24 AN 1079 व उसके साथ छायाप्रति UP AR 1179 लगी हुई है,

दोनों आर०सी० पर एक ही वाहन स्वामी का नाम अंकित था। अन्य मूल आर०सी० UP 24 AM 6702 तथा उसी की छायाप्रति UP 24 AM 6722 है, जो फर्जी तरीके से तैयार की गयी है, बैग में रखी हुई मिली व अन्य कागजात भी मिले।

मौके पर मौजूद तीसरी बैगेनार गाड़ी UP 24 6037 में एक काले रंग का बैग मिला, जिसमें एक आर०सी० मिली, जिस पर UP 24 AM 4563 व उसकी छायाप्रति UP 24 AM 4363 लगी हुई मिली, दोनों वाहन स्वामी पर एक ही वाहन का नाम अंकित है व अन्य मूल आर०सी० UP 24 AS 4177 तथा उसकी छायाप्रति UP 24 AA 4177 बैग में रखी मिली, जो फर्जी तरीके से तैयार की गयी हैं एवं उसी बैग में रखे हुए कुछ फार्म जिसमें पंजीकृत वाहन स्वामी की मूल आर०सी० संलग्न है, बरामद हुए। एक गाड़ी की कटी चैचिस प्लेट जिस पर MAT 491005CJG26603 अंकित था, बरामद हुआ।

मौके से दुकान से भागे अभियुक्त राकेश, राजवीर सिंह व विशाल शर्मा, जिन्हें मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है, उनकी निशानदेही पर दुकान में रखे सामान, एक लैपटॉप एच०पी० काला रंग, एक प्रिन्टर सफेद व हरा, लैपटॉप चार्जर, डाटा केबिल, एक डायरी, एक गद्दी का कार्ड, जिस पर सलाहकार परिवहन अंकित है, वहीं पर एक पिटू बैग मिला, जिसमें वाहनों से सम्बन्धित कागजात व कूटरचित कागजात, वाहन की आर०सी० UP 24 Q 6038 एवं उसी के साथ संलग्न आर०सी० की छायाप्रति UP 24 Q 6838 अंकित है, जिस पर एक ही वाहन स्वामी का नाम अंकित है। दूसरी आर०सी० UP 24 H 9200 व उसी के साथ संलग्न आर० सी० की छायाप्रति जिस पर UP 24 H 9202 अंकित था, पंजीकृत वाहन स्वामी का नाम एक ही अंकित है।

इसी प्रकार दूसरे दुकान से भागे अभियुक्त रवि व कुर्रम जिन्हें मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है, उनकी निशान देही से दुकान में रखी प्रिन्टर व एक लैपटॉप गेटवे कम्पनी व एक एच०पी० कम्पनी का मिला, वहीं दुकान में काला बैग जिसमें दो फाइलों कुछ ई स्टाम्प व गाड़ी के आर०सी० की छायाप्रति मिली, जिस पर UP 24 N 3585 व उसकी साथ लगी कूटरचित छाया प्रति रजि० नं०- UP 24 N 3285/2010 मिली, जिनके पंजीकृत स्वामी एक ही था, कुछ फार्म की प्रतियाँ मिली।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वाहन UP 24 H 9200, जिसके पंजीकृत स्वामी जावेद हैं, उसी की कूटरचित छायाप्रति UP 24 H 9202, जावेद नाम अंकित है, जबकि दूसरी आर०सी० UP 24 H 9202 सत्यापन के बाद राकेश कुमार पुत्र उर्फ सिंह निवासी घाटबेहटी बिनावर बदायूँ का होना पाया गया। इसी प्रकार UP 24 Q 6038 की आर०सी० के वाहन स्वामी राजपाल पुत्र नन्हें लाल व आर०सी० UP 24 Q 6838 का पंजीकृत स्वामी अजमद जहान पुत्र मुजाहिद अख्तर निवासी मो० सोथा नियर पुलिस चौकी बदायूँ का होना पाया गया। इसी प्रकार वाहन UP 24 AN 1079 का पंजीकृत स्वामी सही होना पाया गया तथा आर०सी० UP 24 AR 1179 सत्यापन के उपरान्त पंजीकृत वाहन स्वामी प्रमोद कुमार पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम माधुरी नगला पोस्ट रिजोला थाना दातागंज बदायूँ होना पाया गया। इसी प्रकार वाहन संख्या-UP 24 AM 6702 के वाहन स्वामी रनवीर पुत्र महीपाल के नाम पंजीकृत सही होना पाया गया, लेकिन आर०सी० UP 24 AM 6722 फर्जी कूटरचित तैयार करना बतायी गयी, जिसके पंजीकृत स्वामी सत्यापन के उपरान्त रोहिताश सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी अल्हुआ बगरैन बिसौली पाया गया। इस प्रकार दौरान बरामदगी जो आर०सी० व उनकी छायाप्रति बरामद की गयी हैं, उन पर वाहन स्वामी

का एक ही नाम अंकित है, जबकि दौरान विवेचना उक्त प्रश्नगत वाहनों के पंजीकृत स्वामी भिन्न-भिन्न पाये गये हैं।

इसी प्रकार कटी हुई चैचिस प्लेट जिस पर MAT 491005CJG26603 अंकित था, उक्त के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो आर०सी० की प्रति में वाहन संख्या-UP 24 H 8237, जो राकेश चन्द्र पुत्र दीपचन्द्र निवासी 152 बीए फैजगंज बदायूँ का पाया गया। अन्य वाहन UP 16 V 1333 वाहन स्वामी देवेश गुप्ता तथा UP 24 AD 5553 वाहन स्वामी नीरज कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी नगला ककराला रोड बदायूँ के नाम होना पाया गया। विवेचक द्वारा उक्त वाहनों की आर०सी० की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो कर/पंजीयन अधिकारी बदायूँ द्वारा प्रमाणित की गयी हैं। इस प्रकार साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के कब्जे से जो आर०सी० व उनकी छायाप्रति पायी गयी हैं, एक ही स्वामी के नाम न होकर भिन्न-भिन्न स्वामी के नाम पंजीकृत हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या अभिलेख के साथ कूटरचना किये जाने का साक्ष्य विवेचक द्वारा संकलित किया गया, बताया गया है। प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा यह नहीं कहा है कि उक्त वाहन व उनके परिवार के न हों। दुकानों से जो उपकरण व आर०सी० बरामद किये गये हैं, उन्हें दौरान विवेचना कूट रचित होना बताया गया है। दौरान विवेचना विवेचक ने साक्षियों के बयान धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किये हैं, उक्त साक्षीगण द्वारा भी अभियुक्तगण की भूमिका को बताया गया है। इस प्रकार नामजद अभियुक्तगण द्वारा ए०आर०टी०ओ० कार्यालय के बाहर फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक समानान्तरण परिवहन कार्यालय के रूप में कार्य कर राज्य सरकार को राजस्व हानि कारित किये जाने की भूमिका बतायी गयी है। जहाँ तक यह बचाव पक्ष का तर्क प्राथमिकी में अंकित धाराएँ अभियुक्तगण के विरुद्ध नहीं बनती हैं, यह साक्ष्य का विषय है, साक्ष्य के स्तर पर देखा जायेगा। इस स्तर पर अभियुक्तगण की जो भूमिका दर्शित की गयी है, वह सामान्य नहीं हैं।

चूँकि वर्तमान अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण को मौके से कूटरचित आर०सी० व अन्य अभिलेख/प्रपत्र एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है, प्राथमिकी में उन्हें नामजद किया गया है, उनके विरुद्ध अभिकथित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, जो आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में मैं, अभियुक्त उक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ।

आदेश

अभियुक्त रवि उर्फ रविकान्त मौर्य पुत्र चन्द्रपाल का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अखिलेश कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०), बदायूँ।

जे०ओ०कोड-यू०पी० 6281